न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 39/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
तुलछाराम पुत्र मनरूपराम जाति जाट निवासी कितलसर तहसील डेगाना जिला नागौर।		सरकार जरिये तहसीलदार, डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:29.12.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 71/2020 सरकार बनाम तुलछाराम में निर्णय दिनांक 18.08.2020 के तहत मौजा कितलसर के खसरा नं. 503 रकबा 0.006 हैक्ट. गै.मु. नाडी भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 08.09.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 71/2020 सरकार बनाम तुलछाराम के फर्द अहकाम दिनांक 5.8.20 से 18.08.20 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 18.08.20 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, बयान दिनांक 17.8.20 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार डेगाना के पत्र दिनांक 13.8.19 की फोटोप्रति तथा मौका फर्द बेदखली की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट को जवाब व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही पारित किया है और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रेकर्ड के प्रतिकूल पारित किया है। जिससे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट एक अनपढ काश्तकार है। जिसने पूर्व मे भी अधीनस्थ न्यायालय यानि तहसीलदार डेगाना को निवेदन किया कि मेरे द्वारा किसी तरह का अतिक्रमण नही किया गया है। जिस पर तहसीलदार डेगाना द्वारा दिनांक 13.8.19 को पटवारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये परंतु आज तक मुस्तकिल पॉईन्ट से नाप नही किया गया और अपीलांट के विरूद्व पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट व बयानो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कठोर निर्णय पारित कर दिया। यानि अपीलांट को 3 माह की सिविल कारावास की सजा दे दी। जबकि पूर्व मे अपीलांट को कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नही किया गया और न ही ऐसी रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी के बयान को मूलभूत आधार मानकर 3 माह की सिविल सजा देने मे बडी भारी कानूनी व वाकियाति भूल की है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे (8) 2001 पेज 475 से 477 नजीरे पेश की।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद बिना नाप चोप किये ही अपीलांट की अनुपस्थिति मे उसका अतिक्रमण मानकर भौतिक रूप से बेदखल कर दिया है। इसलिये अपीलांट का गैर

अपर कलक्टर, नागौर

मुमकिन नाडी की जमीन पर वर्तमान मे कोई कब्जा नही है। जबकि अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे से भी कब्जा हटाया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट का आज किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का कठोर निर्णय 3 माह का सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना न्याय संगत है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी नाप चोप अपीलांट के द्वारा बार–बार टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाने के लिये निवेदन करने के बावजूद भी अपीलांट का सीमाज्ञान नही करवाया गया और उसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही कर दी गई। जिसमे बिना किसी साक्ष्य सबूत व आधार पर 3 माह के सिविल कारावास का कठोर निर्णय और तुरंत गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिये गये जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील की अवधि तक जमानत देने व सजा सस्पेंट करने का निवेदन किया और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91(3) के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय अपील की अवधि तक सजा सस्पेंट कर सकता हैं जो उन्होने प्रार्थना पत्र तक नही लिया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)–वकील अपीलांट द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द बेदखली दिनांक 04.09.2020 की ओर ध्यान दिलाया तथा बताया कि अपीलांट का आराजी भूमि खसरा नं. 503 रकबा 0.006 हैक्ट. पर किया गया अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा कितलसर में स्थित गै.मु. नाडी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके कितलसर के खसरा नंबर 503 रकबा 0.006 हैक्ट. गै.मु. नाडी भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. नाडी है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। चूंकि अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इसलिये सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के तहत सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत कायम रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय आराजी भूमि का भौतिक सत्यापन करवाये। यदि मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास से संबंधित आदेश पूर्वानुसार यथावत माना जायेगा।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर